उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0–734–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2012–3(4)ई0एम0–03–विविध / 09 दि0: 25 फरवरी, 2012

मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र, मेरठ / मुरादाबाद /,
सहारनपुर / गाजियाबाद / बरेली / लखनऊ / लेसा /,
फैजाबाद / वाराणसी / इलाहाबाद / गोरखपुर /,
आजमगढ़ / आगरा / अलीगढ़ / झाँसी / बांदा / कानपुर /,
मुख्य अभियन्ता केस्को, कानपुर,
अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में आमेलित कार्मिको द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से चल / अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन मुख्यालय के पत्र संख्या–2721–अ0प्र0–03 / पाकालि / 2011–3(4)ई0एम0 / विविध / 09 दि0 24.8.2011, तथा अनुस्मारक संख्या–3075–अ0प्र0–03 / पाकालि / 2011–3(4)ई0एम0 / विविध / 2009 दिनांक 14.10.2011, संख्या–3470–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2011–3(4)ई0एम0–03–विविध / 09 दि0 15.11.2011, सं0–3689–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2011–3(4)ई0एम0–03–विविध / 2009 दिनांक 15.12.2011 एवं सं0–25–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 2011–3(4)ई0एम0–03–विविध / 2009 दि0 04.01.2012 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि अधिकारियों / कर्मचारियों के चल / अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराय जाये। परन्तु स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यह पाया गया है कि अधिकांश अधिकारियों / कर्मचारियों के चल / अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र कारपोरेशन मुख्यालय को अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है।

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों / कर्मचारियों के चल / अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र कारपोरेशन मुख्यालय को अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके नियन्त्रक अधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया जाय कि ऐसे सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का माह ~~फरवरी~~ मार्च 2012 का वेतन उनका सम्पत्ति विवरण प्राप्त कर ही आहरित कराया जाये तथा यथानुसार प्राप्त सभी अधिकारियों के पारिसम्पत्ति विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से कारपोरेशन को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। सूचनीय हैं कि कारपोरेशन मुख्यालय में जिन अधिकारियों के सम्पत्ति विवरण प्राप्त हो गये हैं, उनकी पुष्टि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट से की जा सकती है।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0–734–(i)अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 12–तद्दिनांक :

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को / वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / कानपुर, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से,

(राकेश पुष्कर)
अपर सचिव

सं0–734–(ii)अधि0प्रब0–03/पाकालि/12–तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं **तत्सम्** कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ/निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, ऊर्जा प्रणाली/संगणीकरण एवं संचार/वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा/ कम्प्यूटर इकाई/आर0ए0यू0/सामग्री प्रबन्ध/सी0एम0यू0(डी0)/पी0पी0ए0/रेस्पो/ जाँच समिति प्रथम एवं द्वितीय/नियोजन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. मुख्य अभियन्ता, पारेषण–पूर्व/दक्षिण/पश्चिम/मध्य/परि0एवंक्रय/765 के0वी0 परिकल्पना, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. विधि अधिकारी/मुख्य महा प्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राकेश पुष्कर)
अपर सचिव